FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

श्री रूपाराम बनाम फूलादेवी

किस्म मुकदमा ता. अपील धारा 128 रेवेन्यू नं. 121 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.4.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रूपाराम भादू ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16.4.19 को पेश हो।	
16.4.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण से 2 व 3 की ओर से रिणधाराम वकील द्वारा अन्डर टैकिंग की गई। पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दि० 4/6/19 को पेश हो।	undertaking वि. 2 व 3 [illegible] 16/4/19
4.6.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थी से 2 व 3 के वकील उप०। पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 04/09/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:41:11 IST
Reason: SelfAttested

5.9.19 प्रार्थी वकील उप० | विप्रार्थीगण अनु० | पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक ... को पेश हो।

24.12.19 प्रार्थी वकील उप० | विप्रार्थीगण अनु० | पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में पधारे होने से पत्रावली दिनांक ... को पेश हो।

12/2/2020 प्रार्थी वकील उप० | विप्रार्थीगण अनुपस्थित | विप्रार्थीगण सं 2 व 3 की ओर से वकील रिणछाराम द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया | उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित | न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई | अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई; विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सेढ़ा से आई हुई है प्रार्थी के खेत के सेढ़ा पर पुरानी मोड़ एवं कांटे बने हुए है। लेकिन वर्तमान में आंधियां चलने की वजह से पुरानी मोड़ बिखर गई है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। वर्षात के दिनों में वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते है जिससे पक्षकारों के बीच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का नेपमबंदी आदेश किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बापुत को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू० अ० निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर नियमानुसार कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, पश्चात मियाद हेतु कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
12.2.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:41:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 158

दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

1. बांकाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी भाम्भुओं की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. फूली पत्नी लाखाराम वगैरा निवासी भाम्भुओं की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 121 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा भाम्भुओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 353 / 277 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

12.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 159-163

दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बांकाराम
4. विप्रार्थीगण श्री फूली वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

12.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:41:11 IST
Reason: SelfAttested